# प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
# एवं जिला कलक्टर उदयपुर
# निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 51/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Devi Singh Chouhan Add.: Village Mankhand, Post-Sanwar, tehsil Mavli, Udaipur

..............अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

दिनांकः 11/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329632933987433 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना अपूर्ण उपलब्ध करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2125766414 दिनांक 17.05.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/51/24/575–76 दिनांक 17.05.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ.2005/प्रा.प. स.329632933987433/2024/429–31 दिनांक 21.05.2024 से निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का संबंध स्थापना अनुभाग से होने से कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 341 दिनांक 29.04.2024 से स्थापना अनुभाग को लिखा गया जिसके क्रम में अपीलार्थी को दिनांक 13.05.2024 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई। परन्तु अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं होने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिस पर पुनः स्थापना अनुभाग को जरिये पत्रांक 429–31 दिनांक 21.05.2024 लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने समसंख्यक पत्रांक 473–74 दिनांक 03.06.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए कार्यालय को अवगत कराया गया।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 473–74 दिनांक 03.06.2024 से अपीलार्थी को प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि.**
**एवं जिला कलक्टर, उदयपुर**